राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम "मिनिरत्न कम्पनी")
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110012
फैक्स -011 - 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

फ़०सं०:116(1)/ई-0 से ई-1/कार्यकारी/रि0आ0/2024/एनएससी दिनांक 19 फ़रवरी, 2026

कार्यालय आदेश संख्या/OFFICE ORDER NO. (66)

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अधिकारियों को निम्नानुसार अगले उच्च पद पर पदोन्नति दी जाती है:-

With the approval of the Competent Authority, the following promotions are granted to the Officers as mentioned below:-

(i) अधिकारी (गुणवत्ता नियंत्रण) वेतनमान 30000-120000 (IDA) से सहायक प्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रण) वेतनमान 40000-140000 (IDA) के पद पर पदोन्नति।

Promotion from Officer (Quality Control) Scale of Pay of Rs. 30000-120000 (IDA) to Assistant Manager (Quality Control) in the Scale of pay of Rs. 40000-140000 (IDA)

क्र॰ सं॰ Sl.No.	नाम (सर्व/श्री) Name (S/Sh.)	कर्मचारी संख्या (Employee No.)	वर्तमान तैनाती स्थल स्थल (under CO/RO/Farm)	पदोन्नति की प्रभावी तिथि (Effective Date of Promotion)
1.	शरीफ आलम (Shariph Alam)	3909	निगम मुख्यालय, नई दिल्ली	01.07.2024

(ii) वरिष्ठ विधि अधिकारी वेतनमान 40000-140000 (IDA) से सहायक प्रबन्धक (विधि) वेतनमान 40000-140000 (IDA) के पद पर पदोन्नति।

Promotion from Sr. Law Officer Scale of Pay of Rs. 40000-140000 (IDA) to Assistant Manager (Legal) in the Scale of pay of Rs. 40000-140000 (IDA)

क्र॰ सं॰ Sl.No.	नाम (सर्व/श्री) Name (S/Sh.)	कर्मचारी संख्या (Employee No.)	वर्तमान तैनाती स्थल स्थल (under CO/RO/Farm)	पदोन्नति की प्रभावी तिथि (Effective Date of Promotion)
1.	वीरेंदर सिंह (Virendar Singh*)	3641	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	01.07.2024

* उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, पदोन्नति पर कोई और फिटमेंट लाभ नहीं होगा क्योंकि अगले उच्च वेतनमान में प्लेसमेंट के समय उन्हें पहले ही यह प्रदान किया जा चुका है।

* Resultant to his promotion, there will be no further fitment benefit on promotion as the same has already been granted to him at the time of grant of next higher scale of pay.

अगले पृष्ठ पर लगातार 2

पदोन्नति पर वित्तीय लाभ पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिया जाएगा। यदि संबन्धित अधिकारी किसी भी कारण से अपनी पदोन्नति को लेने से इंकार करते हैं तो क्लस्टर योजना के तहत संशोधित पदोन्नति नीति के नियम संख्या 8.5 के अनुसार पदोन्नति की प्रभावी तिथि से अगले 02 वर्षो के लिए उन्हें पदोन्नति प्रक्रिया से वंचित (Debarred) रखा जाएगा। जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, वे अधिकारी पदोन्नत पद पर अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा (Probation) पर रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर परिवीक्षा अवधि को नियमानुसार एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद भी संबन्धित अधिकारी को परिवीक्षा पर तब तक माना जाएगा जब तक परिवीक्षा समापन के औपचारिक लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते।

The financial benefit on promotion will be given with effect from the date of assumption of charge on the promoted post. **In case, the official denies his promotion for any reason he will be debarred himself from considering for promotion for next two years as per clause 8.5 of Modified Promotion Policy under Cluster Scheme.** After promotion the official will be placed under probation for a period of one year from the date of joining the promoted post. The period of probation is extendable by one more year if required. The promoted officials will be deemed to be on probation even after expiry of period of probation till formal orders of confirmation are issued.

वेतन नियतिकरण संबंधी आवश्यक आदेश सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय के परामर्श (In Consultation with Head Office) उपरांत जारी किया जाएगा तथा निगम मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी हेतु मानव संसाधन विभाग, निगम मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाएगा। पदोन्नत हुए अधिकारियों को अगली वार्षिक वेतन वृद्धि उन्हें पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय होगी तथा वह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर एनएससी वेतन और भत्ते नियम (संशोधित) के नियम 6 (i) और (ii) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प चुनने के पात्र होंगे।

The basic pay on promotion will be fixed and orders to that effect will be issued separately. Next annual increment will accrue to the promoted Officers on completion of one year service from **the date of joining in the promoted post**. For Officer working in Regional Office necessary orders with regards to fixation of pay will be issued by concerned Regional Office in consultation with Corporate Office and for Officer working in Corporate Office, the necessary orders with regard to fixation of pay will be issued by HR Department, Corporate Office, New Delhi. The promoted officials will be eligible to exercise option for fixation of pay under Rule 6(i) & (ii) of NSC Pay and Allowances Rules (Revised) within a period of one month from the date of joining the post.

अगले पृष्ठ पर लगातार 3

19/02/2026

इसमे शामिल व्यय निगम मुख्यालय, नई दिल्ली/संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के "वेतन एवं भत्ता" मद मे डेबिट किया जाएगा।

The expenditure involved is debitable to the head – **"Pay & Allowances"** of the Corporate Office, New Delhi/respective Regional Office.

19/02/2026

(ओंकार सिंह)/
(Onkar Singh)
महाप्रबंधक(विपणन)/विभागाध्यक्ष(मा0सं0 एवं प्रशा0)/
General Manager (Mktg.)/HOD (HR & Admn.)

वितरण:-

1. संबन्धित अधिकारी/ Concerned Officers.
2. क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/Regional Office, Jaipur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिवालय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Office of CMD.
4. सचिवालय, निदेशक(वित्त)/ Office of Director (Finance).
5. सचिवालय, निदेशक (वाणिज्यिक)/ Office of Director (Commercial).
6. सभी विभाग प्रमुख (All HoD's), निगम मुख्यालय, एनएससी, नई दिल्ली।
7. IT Cell, निगम मुख्यालय, एनएससी, नई दिल्ली।
8. स्थापना शाखा (Establishment Cell), मानव संसाधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएससी, नई दिल्ली।
9. APAR Cell, मानव संसाधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएससी, नई दिल्ली।
10. गार्ड फ़ाइल (Guard File)